निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 72/2024 (धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955)

राज्य सरकार जरिये राजेश कुमार टांक, प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम।

प्रार्थी

बनाम

1. **श्री अनवर पुत्र श्री एम.डी. कलिमतगीन निवासी श्री गणेश रेस्टोरेन्ट, संजय सर्किल, चांदपोल, जिला जयपुर।**
2. **श्री संतोष कुमार मीणा, निवासी श्री गणेश रेस्टोरेन्ट, संजय सर्किल, चांदपोल जयपुर।**

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रस्तुत जब्त शुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी.एल. मय एलपीजी 18.200 किलोग्राम को साजसात (Confiscate) करने बाबत ।

उपस्थितः–

1. विभागीय पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय — दिनांक **27.01.2025**

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम से प्राप्त निर्देश की पालना में घरेलू गैस के **व्यावसायिक उपयोग** की सूचना प्राप्त होने पर प्रार्थी बहमराह प्रवर्तन स्टाफ के दिनांक **24.09.2024 को श्री गणेश रेस्टोरेन्ट, संजय सर्किल, चांदपोल, जयपुर की जांच की गई। परिसर की जांच करने पर 01 घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी.एल. भट्टी से जुडा पाया गया तथा एक घरेलू सिलेण्डर और रखा पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध व्यावसायिक उपयोग करना पाया गया है,** जिनको राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एव जब्त गैस सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील, विस्फोटक एवं जनहित के काम आने वाली वस्तु होने से धारा 6–ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील विस्फोटक एवं जनहित की वस्तु होने से धारा 6–ए, (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के **आदेश दिनांक 26.09.2024** को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण कराया जाकर पालना प्रतिवेदन भिजवावें। नोटिस अप्रार्थी को जारी किये गये। **अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुये, किन्तु आगामी पेशी पर उपस्थित नहीं हुये। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।**
3. बहस पैरोकर रसद सुनी गई।
4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि **श्री गणेश रेस्टोरेन्ट, संजय सर्किल, चांदपोल, जयपुर की जांच की गई। मौके पर अप्रार्थीगण की उपस्थिति में परिसर की जांच करने पर 01 घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी.एल. गैस**

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

भट्टी से जुड़ा पाया गया एवं 01 घरेलू सिलेण्डर और रखा पाया गया। मौके पर अप्रार्थीगण द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से वाणिज्यिक तौर पर लाभ प्राप्त करने हेतु खादय सामग्री तैयार की जा रही थी। मौके पर मैसर्स कविता एन्टरप्राईजेज, गणगौरी बाजार, जयपुर के प्रतिनिधि श्री रामकिशोर शर्मा पुत्र श्री सुवालाल शर्मा को बुला कर तौल कराया गया। तौल कराने पर गैस सिलेण्डरो में कुल 18.200 किलो ग्राम एल.पी.जी. पाई गई। मौके पर अप्रार्थी द्वारा इस बाबत न तो कोई वैद्य दस्तावेज पेश किया गया और न ही अवैद्य भण्डारण के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा सामग्री को राजसात (Confiscate) करने के आदेश फरमावे।

5. पैरोकर रसद की बहस को गौर से सुना । पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 24.09.2024 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।
6. प्रार्थी द्वारा जब्त किये गये सिलेण्डर्स के समर्थन में मौके पर कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये। दौराने जांच 01 घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी.एल. मय एलपीजी 18.200 किलोग्राम गैस भट्टी से जुडे वाणिज्यिक उपयोग करते पाये गये। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरर्स का वाणिज्यिक उपयोग किये जाने की पुष्टि होती है। घरेलू एल.पी.जी. कम कीमत पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है, जिसका व्यावसायिक उपयोग किया जाना वर्जित है, इसके बावजूद अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से एल.पी.जी. का अवैध व्यावसायिक उपयोग करते हुये पाया गया है। उक्त कृत्य के पीछे अप्रार्थी की अवैघ मुनाफा की आपराधिक मनःस्थिति एवं बदनियती स्पष्ट जाहिर होती है। इसलिए जब्त सिलेण्डर्स मय एलपीजी को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।
7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी के कब्जे से जब्त 02 घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी.एल. मय एलपीजी 18.200 किलोग्राम को राजसात (Confiscate) किये जाने के आदेश दिये जाते है।
8. जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में दिनांक 26.09.2024 को अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश दिये गये है तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करें।
9. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो । पत्रावली फैसल शुमार हो कर दर्ज नम्बर से कम हो।
10. निर्णय आज दिनांक 27.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलेक्टर
जयपुर